न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 04 / 2024
3. उनवान : जुगल किशोर शर्मा पुत्र स्व. श्री बद्रीनारायण शर्मा निवासी–प्लॉट नंबर ए–19, करधनी योजना, कालवाड रोड, गोविन्दपुरा, जयपुर (राज०)

–निगरानीकार

बनाम

1. मुकेश कुमार जोशी पुत्र स्व. श्री राधा किशन शर्मा, निवासी ढाणी बोराज, तहसील जोबनेर, जिला–जयपुर ग्रामीण
2. ग्राम पंचायत ढाणी बोराज, जरिये सचिव, कार्यालय–ग्राम पंचायत ढाणी बोराज, पंचायत समिति जोबनेर तहसील जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण।

–गैरनिगरानीकार

4. निर्णय दिनांक : 04 / 07 / 2024
5. अधिवक्तागणों का नाम :अ) अधिवक्ता श्री दिनेश दत्त शर्मा निगरानीकार की ओर से।
   ब)अधिवक्ता श्री मालीराम चौधरी गैर निगरानीकार सं0 1 की ओर से।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate JAIPUR

निर्णय

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम 1994

निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के पूर्वज स्व. बद्रीनारायण व स्व. पन्नालाल आपस में सगे भाई थे, जिनका ग्राम ढाणी बोराज मोहल्ला ब्रह्मपुरी में एक मकान स्थित है, जिसमें स्व. बद्रीनारायण का 40 प्रतिशत हिस्सा व पन्नालाल जी का 60 प्रतिशत हिस्सा निहित था। स्व. बद्रीनारायण के तीन पुत्र जुगल किशोर शर्मा (प्रार्थी), डॉ० बृज मोहन शर्मा व नन्दकिशोर शर्मा है, जिनमें नन्दकिशोर शर्मा, ज्ञानजी शर्मा के गोद चले गये अर्थात बद्रीनारायण जी की सम्पत्ति पर जुगल किशोर शर्मा व डॉ० बृज मोहन शर्मा का हक अधिकार हैं। पन्नालाल जोशी के बडे पुत्र स्व श्री राधाकिशन जोशी के तीन पुत्र मूलचन्द शर्मा, परशुराम शर्मा व मुकेश शर्मा (अप्रार्थी संख्या–1) हैं, जिनका उक्त मकान में 60 प्रतिशत हिस्सा हैं। प्रार्थी के पूर्वजों द्वारा बनाये गये उक्त मकान में प्रार्थी व उनके भाई डॉ० बृज मोहन शर्मा के 40 प्रतिशत हिस्से में भूमि तल पर एक कमरा व एक रसोई है तथा प्रथम तल पर एक कमरा हिस्से मे हैं। इसी प्रकार स्व. पन्नालाल के वारिसान मूलचन्द शर्मा, परशुराम शर्मा व अप्रार्थी संख्या–1 मुकेश कुमार शर्मा का उक्त मकान में 60 प्रतिशत हिस्सा है, जिसमें भूमि तल पर दो कमरे व प्रथम तल पर दो कमरे उनके हिस्से में है, जिन पर सभी हिस्सेदार बहैसियत मालिक स्वामी काबिज हैं। प्रार्थी के पूर्वजों के उक्त मकान ग्राम ढाणी बोराज मोहल्ला ब्रह्मपुरी की नाप पूर्व–पश्चिम 20 फीट, उत्तर–दक्षिण 49 फीट, कुल क्षेत्रफल 108.8 वर्गगज है, जिसकी चारों सीमाओं में उत्तर में आम रास्ता, दक्षिणी में लक्ष्मीनारायण जी का मंदिर, पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम के रामस्वरूप खाती का पुराना मकान स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी का अपने 40 प्रतिशत हिस्से पर अपने भाई डॉ० बृज मोहन शर्मा के साथ मालिकाना हक अधिकार है और प्रार्थी व उसका भाई अपने हिस्से पर अर्थात भूमि तल पर बने हुये एक कमरा रसोई व प्रथम तल पर बने हुये एक

अतिरिक्त कलक्टर (तृ.) जयपुर

कमरे पर बहैसियत मालिक स्वामी काबिज है, जिसका उपयोग उपभोग अर्सा कदीम से प्रार्थी व उसका भाई डॉ० बृजमोहन शर्मा करते चले आ रहे हैं। प्रार्थी अपने गांव महिने–दो महिने में अपने मकानात को संभालने व गांव मोहल्ले में होने वाले शादी विवाह, गमी, बार–त्यौहार पर आता–जाता रहता हैं। प्रार्थी का अपने हिस्से में बने हुये कमरों पर ताला लगा हुआ रहता है, किन्तु दिनांक 14–06–2023 को प्रार्थी अपने मकानात को संभालने गया, तो प्रार्थी के कमरों के ताले टूटे मिले और प्रार्थी का सामान भी कमरों से गायब था। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या–1 मुकेश कुमार से इस संबंध में पूछताछ की तो अप्रार्थी संख्या–1 मुकेश कुमार ने बताया कि उसने पूरे मकान का पट्टा अपने नाम ले लिया हैं, इसलिये प्रार्थी का उक्त मकान में कोई हक अधिकार नही हैं। प्रार्थी ने इस संबंध में अप्रार्थी संख्या–2 के कार्यालय में जाकर जानकारी चाही तो अप्रार्थी संख्या–2 ने भी अप्रार्थी संख्या–1 के पक्ष में जारी आबादी भूमि का आवंटन पट्टा संख्या 51 दिनांक 07–06–2018 को जारी होना बताया और उक्त आवंटन पत्र की एक फोटो प्रति प्रार्थी को दी, जिसे देखकर प्रार्थी को बडा आश्चर्य हुआ और प्रार्थी ने वर्तमान संरपंच को इस आवंटन पत्र बाबत अपना विरोध जताया कि उक्त मकान प्रार्थी के पूर्वजों की संपत्ति है, जिसमें प्रार्थी व उसके भाई बृज मोहन शर्मा का 40 प्रतिशत हिस्सा है, इसलिये सम्पूर्ण मकान का आवंटन पत्र/पट्टा मुकेश कुमार अप्रार्थी संख्या–1 के पक्ष में जारी नही किया जा सकता। वर्तमान सरपंच व अप्रार्थी संख्या–2 के सचिव ने अपनी भूल स्वीकार कर उक्त पट्टे को निरस्त करने में असमर्थता व्यक्त की। अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के अप्रार्थी संख्या–1 के पक्ष में प्रार्थी के पुश्तैनी मकान का एकल पट्टा दिनांक 07–06–2018 को गलत रूप से जारी कर दिया, जिसे निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। प्रार्थी के ग्राम ढाणी बोराज में स्थित पुश्तैनी मकान का पट्टा अप्रार्थी संख्या–1 ने अप्रार्थी संख्या–2 से मिलीभगत कर बिना किसी दस्तावेज के अपने नाम करा लिया, जबकि उक्त मकान में प्रार्थी व उसके भाई डॉ० बृजमोहन शर्मा का 40 प्रतिशत हिस्सा है तथा शेष 60 प्रतिशत हिस्से में अप्रार्थी संख्या–1 मुकेश कुमार व उसके दो भाई मूलचन्द शर्मा व परशुराम शर्मा हिस्सेदार है। अप्रार्थी संख्या–2 ने पट्टा संख्या 51 दिनांकित 07–06–2018 जारी करने से पूर्व प्रार्थी व उसके भाई डॉ. बृजमोहन शर्मा को किसी प्रकार का कोई नोटिस प्रेषित नहीं किया, बल्कि अप्रार्थी संख्या–1 से मिलीभगत कर बिना किसी आधार के सम्पूर्ण मकान का पट्टा अप्रार्थी संख्या–1 के नाम जारी कर दिया, जबकि अप्रार्थी संख्या–1 का उक्त मकान में केवलमात्र 20 प्रतिशत हिस्सा है, बाकी शेष हिस्से के प्रार्थी के साथ–साथ अन्य हिस्सेदारान मालिक स्वामी है। प्रार्थी अपने पूर्वजों के उक्त मकान को संभालने के लिये दिनांक 14–06–2023 को गया तो उसके हिस्से के कमरों का ताला टूटा मिला और उसका सामान भी गायब था, जिसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या–1 को दी तो उसने सम्पूर्ण मकान का पट्टा अपने नाम होना बताया, तथ्यश्चात् अप्रार्थी संख्या–2 से उपरोक्त संबंध में दस्तावेज प्राप्त किये तो ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी संख्या–1 ने अप्रार्थी संख्या–2 के साथ मिलीभगत कर बिना किसी आधार के पट्टा संख्या–51 दिनांक 07–06–2018 अपने नाम जारी करा लिया है, जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी को उक्त संबंध में दिनांक 14–06–2023 को जानकारी होने के पश्चात् यह निगरानी याचिका अन्दर मियाद प्रस्तुत हैं।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या–1 के पक्ष में अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा जारी पट्टा संख्या 51 दिनांकित 07–06–2018, मिसल संख्या 140/2017–18 को निरस्त किया जावे।

निगरानीकार ने निगरानी के संलग्न निगरानीधीन पट्टे की प्रति पेश की है। निगरानी प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस तलबी गैरनिगरानीकारान जारी किये गये। गैर निगरानीकार सं0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मालीराम चौधरी उपस्थित हुए। गैर निगरानीकार सं. 2 की ओर से सरकार पैरोकार उपस्थित हुए। प्रकरण में मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया।

गैर निगरानीकार सं. 2 ने जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें अंकित किया गया कि प्रार्थी जुगल किशोर शर्मा अप्रार्थी संख्या–2 के कार्यालय में अपने पुत्र डॉ० सुरेन्द्र शर्मा के साथ

उपस्थित हुये थे और ग्राम ढाणी बोराज मोहल्ला ब्रह्मपुरी स्थित मकान के बारे में जानकारी चाही, जो उन्हें दे दी गई थी और यह भी बताया था कि अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा उक्त मकान का आवंटन पट्टा संख्या 51 दिनांक 07–06–2018 को अप्रार्थी संख्या–1 मुकेश कुमार जोशी के नाम जारी किया गया था, क्योकि मुकेश कुमार जोशी ने उक्त मकान के पट्टे के लिये आवेदन कर शपथ पत्र पेश किया था कि उक्त मकान का अप्रार्थी संख्या–1 मुकेश कुमार जोशी एकमात्र मालिक स्वामी काबिज हैं। अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा मुकेश कुमार जोशी के शपथ पत्र के आधार पर उसके नाम आवंटन पत्र जारी किया था, जिसमें अप्रार्थी संख्या–2 की कोई दुरभि–संधि नहीं हैं। यदि मुकेश कुमार जोशी द्वारा कोई गलत तथ्य पेश कर आवंटन पत्र जारी करवाने की कार्यवाही की थी और उस कार्यवाही में वर्णित तथ्यों के सही होने के संबंध में अपना शपथ पत्र पेश किया था तो उससे अप्रार्थी संख्या–1 पाबन्द है। इसलिये अप्रार्थी संख्या–2 ने अप्रार्थी संख्या–1 के शपथ पत्र को सही मानते हुये पट्टा जारी किया है। यदि अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा गलत तथ्यों के साथ अपना शपथ पत्र गलत रूप से पेश कर उक्त मकान का आवंटन पत्र/पट्टा अपने नाम गलत तरीके से जारी करवा लिया है तो वह गलत है। निगरानी के पैरा संख्या–4 में जिस तरह से तथ्य वर्णित किये है, जानकारी के अभाव में अस्वीकार हैं। मुकेश कुमार द्वारा अपने शपथ पत्र में उक्त मकान अपने पूर्वजों का होना बताया और अपने स्वयं को अकेला वारिस बताते हुये अपने नाम आवंटन/पट्टा जारी करवाने का निवेदन किया था, जिस पर विश्वास कर अप्रार्थी संख्या–2 ने पट्टा जारी किया है, यदि अप्रार्थी संख्या–1 ने गलत तथ्यों के आधार पर उक्त मकान का पट्टा जारी करवाया है तो न्यायालय उक्त पट्टे को निरस्त करने का अधिकार रखते हैं। अप्रार्थी संख्या–2 ने अप्रार्थी संख्या–1 के शपथ पत्र पर विश्वास कर पट्टा जारी किया था एवं अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा इस संबंध में अनापत्ति नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा पेश आवेदन पर किसी भी व्यक्ति की कोई आपत्ति अप्रार्थी संख्या–2 को प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिये अप्रार्थी संख्या–2 ने अप्रार्थी संख्या–1 के तथ्यों व दस्तावेजों पर विश्वास कर पट्टा जारी किया था, जिसमें अप्रार्थी संख्या–2 की कोई मिलीभगत नहीं हैं। अप्रार्थी संख्या–2 के समक्ष विकास अधिकारी के पत्र कमांक 2427 दिनांकित 18–07–2023 द्वारा उक्त पट्टे की कार्यवाही व तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई थी, जिसकी पालना में अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा एक पत्र क्रमांक 73/2023–24 दिनांकित 28–07–2023 को अप्रार्थी संख्या–1 को प्रेषित कर उक्त पट्टे के संबंध में पत्र प्रेषित किया था, जिसका कोई जवाब अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से अप्रार्थी संख्या–2 को प्राप्त नहीं हुआ। तत्पश्चात् पुनः इसी संबंध में एक अन्य पत्र संख्या–87/2023–24 दिनांकित 11–08–2023 को अप्रार्थी संख्या–1 को प्रेषित किया और उक्त पट्टे के संबंध में निगरानी पेश करने की हिदायत दी गई, उसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से अप्रार्थी संख्या–2 के पास कोई जवाब नहीं आया और ना ही अप्रार्थी संख्या–1 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ। यदि अप्रार्थी संख्या–1 ने गलत तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी संख्या–2 से झूठ बोलकर गलत शपथ पत्र पेश कर कोई पट्टा जारी करवा भी लिया है तो उसे न्यायालय निरस्त करने का अधिकार रखते हैं। प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने अप्रार्थी संख्या–2 के समक्ष उपस्थित होकर उक्त मकान के संबंध में पूरी स्थिति बताई, जिसके संबंध में अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा मौखिक जांच करवाई, जिसमें पाया गया कि उक्त मकान निगरानीकर्ता जुगल किशोर शर्मा एवं मुकेश जोशी पुत्र स्व. श्री राधा किशन जी के पूर्वजों का है, जिसमें सभी भाईयों का हिस्सा है और उक्त मकान का पट्टा भी सभी के नाम बनना चाहिये था, किन्तु अप्रार्थी संख्या–1 मुकेश कुमार जोशी ने अप्रार्थी संख्या–2 के समक्ष गलत तथ्य पेश कर गलत पट्टा जारी करवा लिया, जिसे न्यायालय को निरस्त करने का अधिकार हैं।

अन्त में जवाब को रिकॉर्ड पर लिया जाकर उचित कार्यवाही का निवेदन किया गया है।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी। विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि निगरानीधीन भूमि पर निगरानीकार के पूर्वज स्व. बद्रीनारायण का 40 प्रतिशत हिस्सा व स्व. पन्नालाल का 60 प्रतिशत हिस्सा निहित था, जो आपस में सगे भाई थे।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

निगरानीकार बाहर रहता है तथा उक्त मकान पर आता–जाता रहता है। निगरानीकार का अपने हिस्से में बने हुये कमरों पर ताला लगा हुआ रहता है, किन्तु दिनांक 14–06–2023 निगरानीकार के कमरों के ताले टूटे मिले और सामान भी कमरों से गायब था। पूछताछ की तो ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी संख्या–1 मुकेश कुमार ने बताया कि उसने पूरे मकान का पट्टा अपने नाम ले लिया हैं। पंचायत द्वारा आवंटन पट्टा संख्या 51 दिनांक 07–06–2018 को जारी होना बताया। उक्त मकान में निगरानीकार व उसके भाई बृज मोहन शर्मा का 40 प्रतिशत हिस्सा है। पत्रावली में उपलब्ध सरपंच के जवाब निगरानी में भी पंचायत द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि उक्त मकान निगरानीकर्ता जुगल किशोर शर्मा एवं मुकेश जोशी पुत्र स्व. श्री राधा किशन जी के पूर्वजों का है, जिसमें सभी भाईयों का हिस्सा है और उक्त मकान का पट्टा भी सभी के नाम बनना चाहिये था, किन्तु अप्रार्थी संख्या–1 मुकेश कुमार जोशी ने अप्रार्थी संख्या–2 के समक्ष गलत तथ्य पेश कर गलत पट्टा जारी करवा लिया। अतः पट्टा संख्या–51 दिनांक 07–06–2018 को निरस्त किया जावे।

गैरनिगरानीकार संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने दौरोने बहस कथन किया कि पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की पालना में पट्टा जारी किया गया है। पंचायत द्वारा मौका रिपोर्ट, आपत्ति नोटिस, बयान, स्टाम्प आदि की जांच करने के उपरान्त एवं आपत्ति प्राप्त ना होने पर नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अपनाकर पट्टा जारी किया गया है, जो पंचायत के मूल रिकॉर्ड में संलग्न है। निगरानीधीन पट्टे में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः निगरानी सारहीन, तथ्यहीन एवं मियाद बाहर होने कारण खारिज की जावे।

निगरानीकार की निगरानी, जवाब निगरानी, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। निगरानी ग्राम पंचायत ढाणी बोराज पंचायत समिति जोबनेर द्वारा जारी पट्टा संख्या 51 दिनांक 7–6–2018 के विरुद्ध पेश की गई है। निगरानीधीन पट्टे के संबंध में ग्राम पंचायत ने अपने जवाब में अंकित किया है कि "उक्त मकान निगरानीकर्ता जुगल किशोर शर्मा एवं मुकेश जोशी पुत्र स्व. श्री राधा किशन जी जोशी के पूर्वजों का है, जिसमें सभी भाईयों का हिस्सा है और उक्त मकान का पट्टा भी सभी के नाम बनना चाहिये था, किन्तु अप्रार्थी संख्या–1 मुकेश कुमार जोशी ने अप्रार्थी संख्या–2(ग्राम पंचायत) के समक्ष गलत तथ्य पेश कर गलत पट्टा जारी करवा लिया।"

इसके अतिरिक्त गैरनिगरानीकार संख्या–1 द्वारा अपने पट्टे के संबंध में कोई ठोस एवं वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय के मूल रिकार्ड के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि निगरानीधीन पट्टा तथ्यों को छुपाकर आवेदन कर जारी करवा लिया गया है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं ग्राम पंचायत के जवाब में अंकित तथ्यों के आधार पर निगरानीधन पट्टा खारिज योग्य है। तदानुसार निगरानीकार की निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत ढाणी बोराज पंचायत समिति जोबनेर द्वारा मिसल संख्या 140/2017–18 के अनुसरण में जारी पट्टा संख्या 51 दिनांक 7–6–2018 खारिज किया जाता है। तदानुसार तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04/07/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर